श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 24.08.2013 को पूर्वाह्न 11:00 बजे समाहरणालय सभाकक्ष में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :- यथा पंजी।

बैठक के प्रारंभिक अवधि में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मुंगेर द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि जिले के कुल 34 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित होने की सूचना हैं जिसमें 9 पंचायतें पूर्णतः एवं 25 अंशतः प्रभावित है। शहरी क्षेत्र के 5 वार्ड में से 2 वार्ड पूर्णतः एवं 3 वार्ड अंशतः प्रभावित हैं। उक्त क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा (SDRF एवं NDRF) निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने का निदेश दिया गया है। उपरोक्त के आलोक में अब तक 192 क्विंटल चावल एवं गेहूँ, 90 किलोग्राम चूड़ा, 150 पॉलीथीन शीट्स वितरण किया जा चुका है।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के सहायतार्थ विभिन्न पहलुओं, यथा-दवा की उपलब्धता, पेयजल, विधि-व्यवस्था, पशुचारा, विद्युत, टूटे हुए पथों की सम्पर्कता इत्यादि के संबंध में बाढ़ अवधि एवं बाढ़ के पश्चात सुदृढ़ एवं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है। इसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 1641/गो0, दिनांक 21.08.2013 द्वारा मुंगेर सदर, बरियारपुर, जमालपुर, धरहरा एवं ह0 खड़गपुर प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति के दृष्टिगत् बाढ़ प्रभावित गाँव/टोले के व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर रखने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए कई विद्यालयों को शरण स्थली घोषित करते हुए प्रभावित व्यक्तियों को सुविधाएँ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है जिसका अक्षरशः अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाए। तत्पश्चात् प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 1641/गो0, दिनांक 21.08.2013 द्वारा प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी (Mentor) एवं संबंधित पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिए गए :-

1. सभी अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत वितरण हेतु प्रभावित परिवारों का सूची सर्वेक्षण उपरान्त पंचायत/प्रखंड अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति से पारित कराकर अनुमान्य SDRF एवं NDRF निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य वितरण का निदेश दिया गया।
2. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को बाढ़ प्रभावितों के बीच खाद्यान्न वितरण हेतु ओ0एम0एस0एस0 दर पर शीघ्र अंचल अधिकारियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
3. जिला कृषि पदाधिकारी को प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन करने का तथा अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के सहयोग से रैयतवार, फसलों के किस्म सहित क्षति का आकलन करने तथा

इसे सर्वेक्षण उपरान्त पंचायत/प्रखंड अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति से पारित कराकर अनुमान्य SDRF एवं NDRF निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य वितरण का निदेश दिया गया।

4. बाढ़ में डूबने से मृत व्यक्तियों को अनुमान्य साहाय्य उपलब्ध कराने के लिए पोस्टमार्टम, एफ0आई0आर0 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अभिलेखबद्ध करते हुए संबंधित अंचल अधिकारी जिला कार्यालय को स्वीकृति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा के साथ भेजेंगे ताकि आपदा प्रबंधन प्राधिकारण की निहित प्रावधानों के अनुसार साहाय्य उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा सके।

5. उपरोक्त प्रभावित क्षेत्र में मृत व्यक्तियों के अनुदान दावा के मामले में विशेष रूप से कबीर अन्त्येष्टि योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना/मुख्यमंत्री राज्य पारिवारिक लाभ योजना, जो भी अनुमान्य हो का लाभ प्रभावित व्यक्तियों को दिए जाने का निदेश दिया गया जिससे कि विधि–व्यवस्था की समस्या नहीं उत्पन्न हो सके।

6. अधोहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 1641/गो0, दिनांक 21.08.2013 द्वारा बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के सहायतार्थ बनाए गए शरण स्थली/शिविरों का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार अस्थायी तौर पर शौचालय की व्यवस्था करने का निदेश कार्य0 अभि0, लोक स्वा0 अभि0 प्रमंडल, मुंगेर को दिया गया। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित गाँवों में चापाकल उंचा करने/रेज्ड प्लेटफॉर्म का निर्माण करते हुए पेयजल की व्यवस्था भी करने का निदेश दिया गया। अस्थायी शरणस्थली यथा–जिला स्कूल, मुंगेर, सीताकुण्ड उच्च विद्यालय, उपेन्द्र ट्रेनिंग स्कूल आदि शरणस्थलियों पर एक भी अस्थायी शौचालय नहीं पाये गये। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, मुंगेर सहजता हेतु बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की सूची कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायेंगे।

7. सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेश दिया गया कि शरण स्थली/शिविरों में स्वास्थ्यवर्द्धक दवाईयां यथा–नियमित रूप से चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति, दवाओं की उपलब्धता, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, बाढ़ के पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ यथासमय निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाए। पेयजल की शुद्धता बनाये रखने के लिए चापाकलों, कुंओं, तथा सार्वजनिक पेयजल स्थानों में हैलोजन टेबलेट का नियमित रूप से छिड़काव की जाय। डी0डी0टी0, चूना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव सभी मानव शरणस्थली एवं मानव वास स्थानों पर नियमित रूप से की जाय।

8. इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उपरोक्त शरण स्थली/शिविरों में असामाजिक तत्वों द्वारा लूट एवं छिटपुट हिंसा की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। अतः विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिगत् पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को निदेश दिया गया अपने स्तर से संबंधित थाना प्रभारी को सक्रिय रहते हुए सतत् निगरानी रखने का निदेश निर्गत किया जाए।

9. यह भी इंकार योग्य नहीं है कि कई असामाजिक तत्वों द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों को बहलाकर अथवा मृत व्यक्ति को रखकर अनावश्यक रोड जाम कर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया जा सकता है। अतः ऐसी परिस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त स्थल पर विशेष रूप से विडियोग्राफी कराते हुए रोड जाम को हटाने की कार्रवाई करेंगे ताकि चिन्हित असामाजिक तत्वों के विरूद्ध अग्रत्तर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

10. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को निदेश दिया गया संबंधित अंचल अधिकारियों से उपलब्ध कराए गए प्रपत्र-I एवं प्रपत्र-IX में प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त कर संध्या में समेकित प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए ताकि विभाग को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

11. राहत शिविर में निवासित गर्भवती एवं धातृ माताओं की देखभाल के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

12. आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1388/आ0प्र0, दिनांक 24.07.2004 द्वारा आपदा राहत कार्यो को पारदर्शी बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति का गठन किया गया है। उपरोक्त निर्देशके शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय राहत अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति की नियमित बैठकें करते हुए निर्णित निर्णय संबंधी कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक......170................/आ0प्र0, दिनांक..26-8-2013..........

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/सिविल सर्जन, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी (बंदोवस्त), मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/खड़गपुर/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर/खड़गपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर/श्री वीरेन्द्र कुमार, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर/श्री रविशंकर उराँव, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर/मो0 एहसान अहमद, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, सदर/जमालपुर/बरियारपुर/धरहरा/खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक......170......./आ0प्र0, दिनांक..26-8-2013

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।